

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
खण्ड-2 गाजियाबाद
201001

"अनापत्ति-प्रमाण-पत्र"

पत्रांक कॅम्प-अवर0अभि0 / (प्रमाण-पत्र)


दिनांक-16/3/10

सेवा में,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

विषय:- नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग द्वारा जी0डी0गोयनका पब्लिक स्कूल, राजनगर एक्सटेंशन, दिल्ली-मेरठ रोड, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। उक्त भवन में आर0सी0सी0के बीम है एवं छत भी आर0सी0सी0 की है, जिसकी स्थिति संतोषजनक है। अतः संस्था का भवन सुरक्षा एवं नेशनल कोड-2005 की दृष्टि से ठीक है तथा भवन स्कूल चलाने के लिये उपयुक्त है। अतः उक्त स्कूल का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।


16-03-10
अवर अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0,
गाजियाबाद।


Manager/Director
G.D. Goenka Public School
Raj Nagar Extension, Delhi Meerut
Bypass Road, Ghaziabad





गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

संख्या :

दिनांक :

प्रिय,

सहायक नगर निरीक्षक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा में,

श्री विन्स्टन कपूर सिंह
एच डी राजीव नगर पुनर्वासि प्रयाग संगठन
कॉम्प्लेक्स-2, कानपुर,
गाजियाबाद।

संख्या: 416 / 10/08

दिनांक: 6/06/08

विषय: खसरा नं० 544 एच नगर पुनर्वासि के भूनामिका के सम्बन्ध में।


सूचना उपरोक्त निम्नलिखित अथवा द्वारा प्राप्त भूनामिका के क्रम में सहाय अधिकारी का आदेश दिनांक 04.06.2008 के द्वारा निम्न शर्तों के साथ अधिसूचना प्रदान की गयी है।

- 1. आसानी निरीक्षण शुल्क ₹० 4,31,178.00 व उपविभाजन शुल्क ₹० 13,46,518.40 प्राधिकरण को भुगतान में जमा कराया होगा।
- 2. आसानी विकास शुल्क ₹० 2,68,70,188.00 जमा करने हेतु निम्नलिखित शर्तें दिनांक 13.09.2006 के निर्णय के अनुसार 25 प्रतिशत भुगतान ₹० 62,17,547.00 भूनामिका निर्गत करने में पूर्व जमा करनी होगी तथा अपकेत 75 प्रतिशत भुगतान ₹० 1,86,52,641.00 तीन वर्ष में समतुल्य किस्तों में निभाया जाएगा। 2 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करनी होगी।
- 3. आसानी आंतरिक विकास शुल्क को भुगतान में ₹० 82,87,819.00 को भी भुगतान करनी होगी।
- 4. सूचनात्मक डिवाइज गणना सहित व प्राप्त भूनामिका निर्गत होने से पूर्व आई.आर.डी. दिनांक अथवा म्यूचुअल से बैंक/फाइनेंस इंस्टीट्यूट कराना होगा।
- 5. भूनामिका निर्गत होने से पूर्व सहाय अधिकारी को जांच आदेश व नकली प्रमाण आदि प्रस्तुत करने होंगे। यदि उक्त भूमि में प्राप्त समझौता/संस्था की भूमि धारि जाती है तो विस्तार/परिष्कार/अन्य भूनामिका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6. अधिनियम विभाग का अधिसूचित इन्फार्म पत्र व अनुमोदित भूनामिका, भूनामिका निर्गत होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
- 7. भूनामिका में उल्लेख से पूर्व सम्पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ण प्रमाण पत्र में पूर्ण व सही क्लेयरिटी का कार्य पूर्ण करना होगा।
- 8. विस्तार/परिष्कार/अन्य भूनामिका की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- 9. भूनामिका प्रमाण पत्र पर 1000 रु. की टिकट/अनुमति लेनी होगी।
- 10. भूनामिका में दस्तावेज आसानी/अन्य जिन वन सामान्य हेतु छोड़ना होगा।
- 11. भूनामिका में 15 मीटर की सीमा में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के पथ को छोड़ते हुए विस्तार कर दिया जायेगा।
- 12. यदि स्थल पर सूचना निर्गत की समय स्थल में जाने वाले नूनामिका की स्थिति को विस्तार के लिए परिवर्तित होता है तो आवश्यक टिकट/अनुमति लेना होगा। इस आदेश का लागू पत्र भी एक साथ।
- 13. सूचनात्मक विभाग से अधिसूचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 14. भूनामिका की प्रमाण दिनांक अधिसूचित होगी। दिनांक पर, विवाद को विस्तार में नही लेना होगा।
- 15. भूनामिका की प्रमाण दिनांक अधिसूचित होगी। दिनांक पर, विवाद को विस्तार में नही लेना होगा।

School
G.D. Goenka Public School
Raj Nagar Extension, Delhi Meerut
Bypass Road, Ghaziabad
Signature
Secreta
6/6/08

Manager/Director
G.D. Goenka Public School
Raj Nagar Extension, Delhi Meerut
Bypass Road, Ghaziabad





Manager/Director
G.D. Goenka Public School
 Raj Nagar Extension, Delhi Meerut
 Bypass Road, Ghaziabad



